उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

पत्रांक:– २४१२/व्यवस्था–ई0 निविदा–बागवानी कार्य/2025–26, दिनांक : ०५ अप्रैल, 2025

ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दो वित्तीय वर्षों के लिये कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान हेतु बागवानी कार्य/रख–रखाव संबंधी कार्यो की अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक फर्मों/एजेन्सी से ई0–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं निर्धारित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in एवं www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

Maali-Baagwani

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

तकनीकी ई0 निविदा

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दो वित्तीय वर्षों के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान हेतु बागवानी कार्य/रख–रखाव संबंधी कार्यो की अधिप्राप्ति हेतु ई0 निविदाः–

1. एजेन्सी/फर्म का GST पंजीकरण संख्या..
(पंजीकरण प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)
2. ई0 निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1500/– (रु. एक हजार पाँच सौ मात्र)
बैंक ड्राफ्ट नं0..दिनाँक ....बैंक एवं बैंक शाखा का नाम .... धनराशि रु. .... जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में है। (बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाय)
3. धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 संख्या..दिनाँक ....
बैंक एवं बैंक शाखा का नाम ....
धनराशि **रु.** 75,000.00 (रु. पचहत्तर हजार मात्र)
एफ.डी.आर. फर्म के नाम होगी तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के नाम बन्धक हो। (एफ0डी0आर0 संलग्न की जाय)
4. आयकर रिटर्न, गत 03 वित्तीय वर्षो का (2021–22, 2022–23, 2023–24) अर्थात Assessment Year (2022-23, 2023-24, 2024-25) (प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)।
5. CA द्वारा जारी किया गया पिछले तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर का प्रमाणपत्र। फर्म का गत 03 वित्तीय वर्षो में औसतन टर्न ओवर रु. 70,00,000/– (रु. सत्तर लाख) से कम नही होना चाहिए।
6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में उद्यान/बागवानी कार्य/रख–रखाव से सम्बन्धित किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
7. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1500/– पर जी0एस0टी0 18%, रु. 270/– जमा करने की रसीद।
8. ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ–पत्र।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांकः–2892/व्यवस्था–ई0 निविदा–बागवानी कार्य/2025–26, दिनाँक 04 **अप्रैल, 2025** हेतु निर्गत निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों को भली–भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान : ....

दिनाँक : ....

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....
एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि का नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरा स्थायी पता ....
फोन नं0 कार्यालय ....
मोबाइल फोन नं0 ....

Maali-Baagwani

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

वित्तीय ई0 निविदा

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दो वित्तीय वर्षों के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान हेतु बागवानी कार्य/रख–रखाव संबंधी कार्यो की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय निविदा www.uktenders.gov.in से Downloaded Excel Sheet (BOQ) पर भरकर www.uktenders.gov.in पर ई–निविदा भरते समय यथास्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Maali-Baagwani

Validate Print Help

Tender Inviting Authority: Secretary, UKPSC, Haridwar

Name of Work: Hiring of Firms/Agencies for the Two Financial Year In UKPSC, Haridwar for the Work of Gardening in Office Building/Exam Building and Residential Colony

Contract No: 2892/Vyavastha-E-Nivida-Bagwani Work/2024-25

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(DOMESTIC TENDERS - RATES ARE TO GIVEN IN RUPEES (INR) ONLY)

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST Amount in INR Rs. P	Legal Dues in Rs. P	TOTAL AMOUNT Without Taxes col (13) =col(7) Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes col (14) = sum (7,9,10) in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	7	9	10	13	14	15
1	Hiring of Firms/Agencies in UKPSC, Haridwar for the two Financial Year for Gardening Work in Office Building/Exam Building Campus and Residential Colony with Equipments and items **(Rates should be quoted on monthly basis)**				0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures					0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only					

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

पत्रांकः–2892/व्यवस्था–ई0 निविदा–बागवानी कार्य/2025–26, दिनाँक :–04अप्रैल, 2025

ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दो वित्तीय वर्षों के लिये कार्यालय परिसर/परीक्षा भवन परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान हेतु बागवानी कार्य/रख–रखाव संबंधी कार्यो की अधिप्राप्ति हेतु, कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 अथवा केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग में सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत एजेन्सी/फर्मों से द्वि ई0 निविदा प्रणाली (e-tendering) (Two Bid System Technical/Financial) के द्वारा e-tendering Portal www.uktenders.gov.in पर निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती हैं।

1.	कार्य का नाम	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दो वित्तीय वर्षों के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में स्थित उद्यान हेतु बागवानी कार्य/रख–रखाव से संबंधित कार्यो की अधिप्राप्ति
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1,500.00 GST 18 % रु. 270.00 (जी0एस0टी0 रु 270/– फर्म द्वारा जमा कर रसीद निविदा के साथ जमा की जानी है)
3.	निविदा (http://www.uktenders.gov.in) पर ऑनलाईन उपलब्ध होने की तिथि	05-04-2025 को अपराह्न 02:00 बजे से
4.	निविदा प्रपत्र (http://www.uktenders.gov.in) से डाउनलोड किये जाने की तिथि	05-04-2025 से 21-04-2025 सांय 06:00 बजे तक
5.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड को **Online Upload** किये जाने की तिथि	05-04-2025 से 21-04-2025 सांय 06:00 बजे तक
6.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	(a) तकनीकी बिड 22-04-025 को 12:00 बजे (b) वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि, तकनीकी बिड की जांच के बाद समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

E-tendering Portal www.uktenders.gov.in पर E-Bid भरने के पश्चात, E-tendering Portal पर अपलोड किये गये Technical Document के मूल पत्र, भौतिक रूप से डाक/कार्यालय काउन्टर पर दिनाँक **22 अप्रैल, 2025** की पूर्वाह्न 11:00 बजे तक Sealed Envelope में बंद कर, लिफाफे के बाहर तकनीकी निविदा लिख कर आयोग कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि की एफ. डी.आर. संलग्न किया जाना आवश्यक है। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलने के समय उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं।

Maali-Baagwani

इस हेतु निविदा की शर्तें, निविदा प्रपत्र आदि आयोग की वेब साइट www.psc.uk.gov.in एवं www.uktenders.gov.in में देखे जा सकते हैं/डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ई0 निविदा की शर्तें :–

1. ई0 निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,500/- का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में होगा, जिसकी Scan Copy, www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड करना होगा एवं मूल प्रति, निविदा के प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भौतिक रूप में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना होगा। निविदा प्रपत्र की धनराशि Non-refundable होगी।
2. निविदा प्रपत्र मूल्य रु. 1500/– पर जी.एस.टी. 18% कुल रु. 270/– जमा करने की रसीद।
3. शासनादेश संख्या–223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023, दिनाँक 10 जुलाई, 2024 के बिन्दु संख्या 04 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में विभागों द्वारा किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति के संदर्भ में आमंत्रित की जाने वाली निविदा में पूर्व शर्त के रूप में जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) तथा समस्त देय विवरण (Statement) एवं विवरण (Return) जमा होने सम्बन्धी Circle के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
4. ई0 निविदा फॉर्म के साथ रु. 75,000.00 (रु. पचहत्तर हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (EMD) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि एफ0डी0आर0 फर्म के नाम होगी तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में बन्धक (pledged) होनी चाहिए। EMD हेतु बनायी गयी एफ0डी0आर0 की Scan Copy, www.uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड करना होगा एवं मूल प्रति निविदा के प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भौतिक रूप में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करना होगा।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) नियमावली–2017 के पैरा नियम–13 (2) के अन्तर्गत दो निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैं।
   क– तकनीकी ई0 निविदाः– तकनीकी ई0 निविदा में व्यापारिक शर्तों और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
   ख– वित्तीय ई0 निविदाः– वित्तीय ई0 निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिए मदवार मूल्य का उल्लेख होगा।
6. केवल उन्हीं निविदा दाताओं का वित्तीय ई0 निविदा खोली जायेगी, जिन्होंने तकनीकी निविदा में सफलता प्राप्त की हो तथा तकनीकी निविदा में सफल न होने पर संबंधित फर्म की वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेगी।
7. ई–निविदा के सापेक्ष सफल फर्म को कार्यपूर्ति प्रतिभूति (performance security) के रूप में अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत की धनराशि की एफ0डी0आर0 सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के नाम बंधक बनाकर आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी। अन्य की धरोहर राशि उनके निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापस कर दी जायेगी।
8. सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।

9. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा कार्यो के सापेक्ष लगाये गये कर्मियों को श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित/स्वीकृत न्यूनतम देय धनराशि से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यूनतम देय से कम मजदूरी देने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एवं उनकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति (performance security) को आयोग कार्यालय द्वारा जब्त कर दिया जाएगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का होगा।
11. बिल भुगतान की दशा में नियमानुसार देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती की जायेगी।
12. जिस पंजीकृत एजेन्सी/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उनके द्वारा कार्य आदेश के तुरन्त 24 घण्टे के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में, जमानत धनराशि जब्त करते हुये, सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।
13. एजेन्सी द्वारा तैनात कर्मियों द्वारा आयोग परिसर में ध्रुम्रपान/मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित होगा।
14. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायें, वे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों एवं 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के न हों तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से चुस्त–दुरूस्त हों और उनका पूर्ववृत्त अच्छा हो। अनुभवी कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक कर्मी को आठ घण्टे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।
15. तैनात किये गये कर्मियों से सुचारू रूप से कार्य कराने हेतु फर्म/ठेकेदार द्वारा अपने पर्यवेक्षक/सुपरवाईजर की तैनाती की जानी अनिवार्य होगी, जो सम्बन्धित कर्मियों से ड्यूटी लिस्ट के अनुसार कार्य करा सकें तथा उनके कार्यों का सत्यापन कर देय बिल के साथ अपनी रिपोर्ट संलग्न कर सके ताकि बिलों के भुगतान में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रह सके। तैनात किये गये पर्यवेक्षक को स्वीकृत ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया जायेगा। आयोग से इस सम्बन्ध में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. आयोग में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा माह में कर्मियों की तैनाती की जानी आवश्यक होगी एवं आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होगा। यदि किसी भी कर्मी को अवकाश की आवश्यकता होगी, तो स्वीकृत ठेकेदार द्वारा नियमानुसार उसका अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य कर्मी की तैनाती अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व की जानी आवश्यक होगी ताकि आयोग के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके।
17. उद्यान/बागवानी कार्य/रख–रखाव से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं :–
    क. आयोग परिसर में स्थित उद्यान/लॉन/गमलों में लगे पेड़–पौधों की सिंचाई/निराई/गुड़ाई/खाद की व्यवस्था आदि कार्य आवश्यकतानुसार समय–समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। यदि पेड़–पौधों की निराई/ गुड़ाई तथा उन्हें सिंचित करने का कार्य समयानुसार ठेकेदार द्वारा नहीं किया जाता है तो इससे पेड़–पौधे सूख जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पेड़–पौधों की कीमत के अनुसार उनकी भरपाई की वसूली फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।

ख. बागवानी कार्य हेतु झाड़ू, टोकरी, कटर, खुरपी, फावड़ा, दराती एवं सिंचाई हेतु पाईप आदि उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं फर्म/ठेकेदार को करनी होगी।

ग. उद्यान एवं लॉन आदि के रख–रखाव की व्यवस्था संतोषप्रद न होने की दशा में आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि की वसूली फर्म/ठेकेदार से दण्डस्वरूप की जायेगी।

घ. समय–समय पर उद्यान/लॉन/गमलों आदि के लिए जो भी फूलों के बीज/पौधे, गमले, खाद आदि लगाने की आवश्यकता होगी, उसकी आपूर्ति हेतु आयोग के अधिकारियों के बताने पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

ड़. उद्यान/लॉन से लगी नालियों की सफाई माली द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के माली द्वारा प्रभावी सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जायेगा।

ट. लॉन के रख–रखाव कार्य के फलस्वरूप लॉन से निकली गयी घास/कूड़े आदि का निस्तारण फर्म/ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

18. निर्धारित कार्य अवधि में कार्मिकों की कार्यस्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

19. कार्य में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों को किसी भी दशा में स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा तैनाती नहीं दी जाएगी तथा उसे तुरन्त कार्य से हटाना होगा।

20. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही, माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

21. शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

22. फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के भीतर करना सुनिश्चित करेगा। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को तैनात किये गये कर्मियों को दी जाने वाली विधिक सुविधायें नियमानुसार प्रदान करनी होंगी तथा विधिक देयकों का भुगतान समय पर सम्बन्धित विभाग/संस्था को किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकादार का होगा।

24. फर्म/ठेकेदार द्वारा तैनात किये गये कर्मियों की बीमारी एवं उनके साथ घटित कोई भी अप्रिय घटना हेतु आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का होगा।

25. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायेंगे,उनका पुलिस सत्यापन करने का पूर्ण उत्तरादायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा। जिन कर्मियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है, उन्हें ही आयोग में नियुक्त किया जाये तथा सत्यापन की एक प्रति आयोग के रिकार्ड्स हेतु भी उपलब्ध करायें। पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट छः माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।

26. स्वीकृत ठेकेदार द्वारा आयोग में तैनात किये गये कर्मियों के द्वारा यदि आयोग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है अथवा ऐसा कृत्य किया जाता है, जो **Civil Wrong** की श्रेणी में आता है तो उसके लिए ठेकेदार/फर्म भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा।

27. ई0 निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को आयोग के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा। यह अनुबन्ध उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

28. आयोग द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। साथ ही फर्म/ठेकदार द्वारा भी एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किए जाने हेतु आयोग को सूचित किया जा सकता है।
29. कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन की पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दे। इससे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
30. फर्म/ठेकेदार तथा ठेकेदार कर्मी के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है। इसका उत्तरदायित्व आयोग का नहीं होगा।
31. आयोग में ठेकेदार द्वारा नियुक्त ठेकाकर्मी आयोग परिसर एवं आवासीय परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे, यदि किसी कार्मिक द्वारा आयोग की गरिमा/गोपनीयता के विरूद्ध कार्य किया जाता है, तो सम्बन्धित कार्मिक को 24 घंटे के अन्दर आयोग से हटाना होगा। सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जाएगी, जिसके लिए सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार भी जवाबदेह होगा।
32. ठेकेदार द्वारा नियुक्त माली आदि को प्रत्येक दिन (कार्यदिवस/अवकाश) 8:00 बजे प्रातः आयोग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक किए गये कार्य का विवरण दैनिक आधार पर किया जाय ताकि तद्नुसार सत्यापन किया जा सके।
33. ठेकेदार उक्त कार्य हेतु अनुभवी मालियों को ही नियुक्त करेगा एवं साथ ही परिसर में एक नर्सरी भी विकसित (Develop) करेगा जिसमें मौसम के अनुसार पौधे (सीजनली फूल) तैयार किये जायेंगे।
34. स्वीकृत ठेकेदार कम से कम 12 माली आयोग में अवश्य नियुक्त करेगा।
35. निविदा प्रतिमाह की दर के आधार पर प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।
36. किसी भी विवाद की दशा में दोनों पक्षों की ओर से अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, सोल आरबिट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
37. निविदा स्वीकृत करने हेतु यदि किसी भी प्रकार का प्रभाव फर्म द्वारा डाला जाता है, तो उसे निविदा हेतु अयोग्य माना जायेगा।
38. निविदा के साथ पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा निम्नानुसार प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना साथ ही www.uktenders.gov.in पर ई–निविदा भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1500/- (रु. एक हजार सात सौ सत्तर) का बैंक ड्राफ्ट एवं रु. 75,000.00 (रु. पचहत्तर हजार मात्र) धरोहर राशि की एफ0डी0आर।
2. GST के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या ....
(पंजीकरण प्रमा णपत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)।
3. आयकर रिटर्न की प्रमाणित छाया प्रति, गत तीन वित्तीय वर्षो की। (2021–2022) (2022–23) (2023–24) अर्थात Assessment Year (2022-23, 2023-24, 2024-25) (प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)

4. CA द्वारा जारी किया गया पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र। फर्म का गत 03 वित्तीय वर्षो में औसतन रु. 70,00,000 लाख (रु. सत्तर लाख) से कम नही होना चाहिए।
5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में उद्यान/बागवानी कार्य/रख–रखाव से सम्बन्धित किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. निविदा प्रपत्र मूल्य रु. 1500/– पर जी.एस.टी. 18% कुल रु. 270/– जमा करने की रसीद।

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

पत्रांक :– /व्यवस्था–ई0 निविदा–बागवानी कार्य/2025–26, दिनाँक : अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष को, मा0 अध्यक्ष के अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
3. आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 को उक्त निविदा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।